पत्र सं० एम 4-40/2006....9709....../वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

लोकेश कुमार सिंह,
सचिव (संसाधन) ।

सेवा में,

महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना ।
सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।
सचिव, बिहार विधान परिषद्, पटना ।
महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना ।
सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार ।
स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली,

पटना-15, दिनांक 17/10/2022

विषयः- माह अक्टूबर, 2022 का वेतन भुगतान के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के वैसे कर्मी (अराजपत्रित एवं राजपत्रित) जिनके वेतन की निकासी स्थापना विपत्र से की जाती है, को संबंधित माह के अंतिम कार्य दिवस (माह मार्च का वेतन छोड़कर) पर वेतन का भुगतान अनुमान्य है । स्वतः निकासी के लिए सक्षम पदाधिकारी के वेतन की निकासी भी अगले माह की प्रथम तिथि को अनुमान्य होती है ।

2. आसन्न दीपावली एवं छठ पूजा को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को माह अक्टूबर, 2022 के वेतन का भुगतान दिनांक 20.10.2022 से करने का निर्णय लिया गया है ।

3. यह निर्णय बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 141 में निहित प्रावधानों से आच्छादित है ।

अतएव अनुरोध है कि उक्त निर्णय के अनुपालन में पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का माह अक्टूबर, 2022 के वेतन का भुगतान दिनांक 20.10.2022 से सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक अग्रतर कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन,

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन) ।

17/10/2022